

E-Newsletter, Issued in Public Interest रेफरेंस संख्या –2020/mmp/49 आदासारा ता क्र भाग-1 जे.डी.ए. ज़ोन-7 में स्थित चित्रकूट योजना के भूखंड संख्या बी-1/565,स्वामीनारायण चौक का है मामला

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

एक हजार वर्गगज जेडीए भूमि से हटाया अतिक्रमण

By: Vijay Sharma

Published: 15 Mar 2020, 02:20 PM IST

Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India



जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए चित्रकूट और वैशाली नगर में जेडीए स्वामित्व की एक हजार वर्गगज भूमि से अतिक्रमण हटवाया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-7 में चित्रकूट के भूखण्ड संख्या बी-1/565 और वैशाली नगर के प्लाट नं. 2 की करीब एक हजार वर्गगज जेडीए स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण कर थडी-ठेले, टेबल-कुर्सियां और अन्य सामान डालकर कब्जा कर लिया गया था, जिन्हें हटवाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

सीएम की नाराजगी के बाद बढ़ी कार्रवाई

इधर जेडीए में सीएम की नाराजगी के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई बढ़ रही है। बीते एक महीने से जेडीए की प्रवर्तन शाखा लगातार कार्रवाई कर रही है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने जेडीए की प्रवर्तन शाखा पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद जेडीए से तीन प्रवर्तन अधिकारियों को कार्यमुक्त कर मुख्यालय में भेज दिया था। इसके बाद जेडीए की प्रवर्तन शाखा में अधिकारियों में भय व्याप्त हो गया। चार और अधिकारियों ने विभाग छोड़ने के लिए आवेदन किया था।

मार्च 2019 में रखी गयी थी इस प्लाट की नीलामी,दो करोड़ बीस लाख पचास हजार रूपये था आरक्षित मूल्य

जे.डी.ए. द्वारा भूखंड संख्या बी-1/565चित्रकूट योजना की नीलामी ई ऑक्शन के माध्यम से निकाली जानी थी,नीलामी के समय इस भूखंड का आरक्षित मूल्य दो करोड़ बीस लाख पचास हजार रूपये तय किया गया था|परन्तु फिर ना जाने क्या हुआ कि जे.डी.ए. द्वारा इस नीलामी को निरस्त कर इसे कांग्रेस विधायक श्रीमित कृष्णा पुनिया को निशुल्क आवंटित कर दिया| नीलामी से पहले प्रवर्तन शाखा द्वारा बाकायदा अभियान चला कर,इस भूखंड पर हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाया भी गया था|जिसका श्रेय हमेशा की तरह अपने गाल बजाने वाले जे.डी.ए. के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय द्वारा लिया गया था|परन्तु उन्हें क्या मालुम था कि जिस भूखंड से थडी-ठेले वालों को हटाया जा रहा है वह जे.डी.ए. की खाली झोली नहीं भरकर,सत्तारूढ़ पार्टी की बाहुबली विधायक के व्यक्तिगत स्वार्थों की बिल चढ़ जाएगा|

जे.डी.ए. द्वारा तय की गयी आरक्षित दर

		THE REPORT OF THE PARTY OF THE			
ID/Title	:	[1176] / e-Auction of Residential Plot No.	-B-1/565 (Corner), Chitrakoot Scheme Sectore-	1, Jai	pur (Rajasthan)/JDA/OSD(RM)/D-
Auction Refreance No	:	JDA/OSD(RM)/D-328	Auction Refreance Dispatch Date	:	04-Mar-2020 12:00 AM
Property Details					
Scheme Name	:	CHITRAKOOT			
Property Id	;	RJJDA1/1187/0001H	Property Number	:	B-1/565 (Corner)
Zone	:	Zone 10	Developer Type	:	Cooperative
Developer Name	:	HATHROI GADI GNSS	Area	:	220.50 Square Meter
Usage Type		Residential	Property Type	i	Plot
Bid/Auction Details					
Assessed Property Value as per Bid S	Start P	rice (BSP) : 2,20,50,000.00 (INR) (Actual value	will be calculated as per Highest Bid + Other Charg	jes)	
Bid Start Price (BSP) (INR)	1	1.00.000.00 [Per Square Meter]	Minimum Bid Ingrement value(INR)	:	50.00 [Per Square Meter]
Reserve Price (INR)(For Lease/UA Calculation Only)	3	16,000.00	Press/Portal Release Date	:	04-Mar-2020 12:00 AM
EMD Deposit Start	:	04-Mar-2020 05:15 PM	Auction Start Date	:	04-Mar-2020 05:15 PM
EMD Deposit End	17	24-Mar-2020 11:00 AM	Auction End Date		18-Mar-2020 04:27 PM

पेज 2

🏟 कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

इन्द्रमंत्रिये राजिए थे द्रम् एन मार्च प्रमाहर- ३०२००४

क्रमांकः जविष्रा/उपा./जोन-7/2020/डी- 4-1 24

विनांक :- 21 8 2020

आवंटन-पत्र । साह माग पत्र

श्रीमती कृष्णा पूनियां,

निवासी- 297, कृष्णा निवास,

वार्ड न. 14, सादुलपुर (राजगढ), चुरू (राज.)।

विषय :- वित्रकूट योजना में स्थित भूखण्ड संख्या वी-1/565 के आवंटन वाबत्। संदर्भ :- संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.1(227)नविवि/ जयपुर/2015 दिनांक 01.07.2020 के क्रम में।

महोदया,

उपरोक्त दिपयान्तर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की विज्ञकृट योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या वी-1/565 आवंटित किया जाता है। यह आवासीय भूखण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 एवं नगर (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम,1974 तथा राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी परिपन्नों एवं आदेशों के अध्यतीन निम्नांकित शर्तो पर आवंटित किया जाता है।

आवटित भूखण्ड का साईज-

8.50+11.50 / 2 X22.50 = 225.00 - (R) = 220.00

2. भृखण्ड का क्षेत्रफल-

- भूखण्ड. की आवासीय आरक्षित दर-
- राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आवंटन दर-
- आवासीय भूखण्ड का नजराना-
- बढे हुये एरिया / कम एरिया के पेटे लेय / देय नजराना राशि-
- शहरी जमाबन्दी-
- प्रथम पांच वर्ष के लिए आरक्षित दर 18400 / -का 1.25% X220= 50600 / -वार्षिक
- 2. पाँच वर्ष पश्चात्
- एक मुश्त लीज राशि- 809600/-(वार्षिक लीज के स्थान पर वैकल्पिक)
- साईट प्लान चार्जेज-

कुल देय/लेय राशि-

220.00 ਰੂਸ਼ੀ ਮੀਟਵ 18400 /- प्रति निः शुल्क / - प्रति व.मी. निः शुल्क

NIL 50600/-

56200

आरक्षित दर 18400/-का 2.50%X220= 101200/-वार्षिक

5500 / वी.एस.यू.पी. शुल्क-100/-

10. उयत भूखण्ड की उपरोक्त राशि आवंटन-पत्र जारी होने के 30 दिवस आवश्यक रूप से जमा करा देवे। इस 30 दिवस की अवधि कं पश्चात् आगे 30 दिवस तक उक्त राशि 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित जमा करायी जा सकती हैं। इसके बाद भी राशि जमा नहीं कराने पर आवंटन निरस्त

कर दिया जावेगा।

उबत भूखण्ड में विजला व पाना का करावर विजली व जलदाय विभाग से लगवायँगै।

13. उक्त भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर होगा एवं शहरी जमावन्दी की राशि आवंटी द्वारा नियमानुसार प्राधिकरण को पृथक से देय होगी जो कि कच्छा पत्र की तिथी से देय होगी। यह आरक्षित दर 18400/- का प्रथम पांच वर्ष के लिए 1.25% = 50600 वार्षिक तथा आरक्षित दर 18400/- का पींच वर्ष पश्चात् 2.50% = 101200 वार्षिक देय होगी। यदि शहरी जमावन्दी अग्रिम जमा कराई जाती है तो नियमानुसार छूट यदि कोई है तो तत्समय की दर से देय होगी। जविष्रा को हर 15 वर्ष में शहरी जमायन्दी की राशि यढने का अधिकार होगा। परन्तु यह वृद्धि प्रत्येक बार 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। प्रति वर्ष लीज राशि मार्च माह में जमा करानी होगी भू-स्वामी शहरी जमावन्दी के भुमतान से मुक्त होना बाहे तो ऐसा बाहने वाले चालू वर्ष तक की शहरी जमान्दी एवं व्याज की राशि यदि कोई वकाया हो, के साथ-साथ अग्रिम 8वर्षों की शहरी जमावन्दी दर से जमा कराने पर भू-स्वामी शहरी जमावन्दी से मुक्त हो सकता है।

14. भूखण्ड का येचान करने से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण की समस्त वकाया राशि का भुगतान कर 'अनापित्त प्रमाण–पत्र'' प्राप्त करना होगा तथा प्रत्येक विक्री पर 25 प्रतिशत शहरी जमायंदी में

विद्ध की जावेगी।

15. प्राधिकरण को देय राशि सीधे ही आईसीआईसीआई यैंक विस्तार पटल जयपुर विकास प्राधिकरण कैम्पस में जमा कराकर चालान की प्रति इस शाखा को प्रस्तुत करनी होगी।

पूर्खण्ड केवल आवासीय उपयोग में ही लिया जावेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं ।

ण्ड आयंटी को भूखण्ड आवंटन के पींच साल की अवधि में निर्माण पूर्ण कराना हुना, अगर निरस्त समझा जावेगा तथा आ टी भविष्य में आंवटन का पात्र नहीं होगा। साथ ही उसके द्वारा जमा करायी राशि जब्त सगङ्गी जावेगी।

सगरत नियम एव शर्त वित्रकूट योजना की लागू होगी एवं राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अध्यधीन होगी।

प्रतिलिपि :- निन को सूबनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

- साईट जीनियर जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
- सिरत्य ऐनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।

जे.डी.ए. द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखते हुए दिनांक 21/08/2020 को जारी किया गया आवंटन पत्र,जिसकी शर्त संख्या 17 में स्पष्ट किया गया है कि "भूखंड केवल आवासीय उपयोग में ही लिया जाएगा,अन्य किसी प्रयोजन में नहीं"

उपायक्त जो aldun

TO CHICKLET JAIPUK.

STIL PLAN & PERMISSION OF CONSTRUCTION ON RESIDENTIAL PLOT


PLOT NO. _ B-1/565

SCHEME:- CHITRAKOOT SCHEME (SECTOR-1) JAIPUR.

LAND OF USE: RESIDENTIAL

PLOT AREA: 225.00 - 4.5 (R)=220.00 SQ. MTR.

SCALE -1CM = 5.00 MTR



CONSTRUCTION PARAMETERS

(A) SET BACK

I. FRONT- 4.50M.

2. BACK- _ 3.0M.


3. SIDI:-1- 0.00

4. SIDE-2- 4.50M.

- (B) MAX. HEIGHT: 8 MTR.
- (C) FLOORS: BASEMENT, GROUND FLOOR, FIRST FLOOR
- (D) CONSTRUCTION PERIOD: 5 YRS
- (E) WITH BASEMENT PLINTH LEVEL 1.2 MTR.
- (F) WITHOUT BASEMENT PLINTH LEVEL 0.5 MTR.
- 610THER PARAMETERS FOR CONSTRUCTION OF BUILDING WILL BE ACCORDING TO PREVAILING BUILDING BUIL

SITE ENGINEER
ZONE - 7





- जवाब मांगते सवाल?
- आखिर किसके दबाव में राज्य सरकार द्वारा यह भूखंड कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया को आवंटित किया गया?
- आखिर कौनसी निति/योजना के तहत
 राज्य सरकार द्वारा यह भूखंड कांग्रेस विधायक
 कृष्णा पूनिया को आवंटित किया गया?
- 3. जिस भूखंड की नीलामी से जे.डी.ए. करोड़ों रूपये कमा सकती थी आखिर क्यों उसे कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया को निशुल्क देना पड़ा?इस राजस्व की हानि के जिम्मेदार जे.डी.ए. के कौन-कौन अधिकारी है?आखिर क्यों जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारियों ने इसका विरोध नहीं किया?
- 4. यदि कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया की तरह राज्य के सभी 200 विधायक अपनी मनमर्जी से राजधानी जयपुर की बेशकीमती जमीनों पर कब्ज़ा करने लगे तो फिर जे.डी.ए. की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन होगा?
- 5. आखिर क्यों कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया सत्ता का दुरूपयोग कर, अपनी मनमानी करते हुए इस आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक निर्माण करवा रही है?
- आखिर क्यों कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया यह समझती है कि कानून उनकी जेब में है?
- 7. क्या कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया की यह दादागिरी जे.डी.ए. के प्रवर्तन अधिकारी श्री सुरेश यादव के सामने भी चलेगी?क्या जे.डी.ए. ज़ोन-7 के प्रवर्तन अधिकारी इस अवैध निर्माण के विरुद्ध धारा 32 का नोटिस देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे या फिर विधायक महोदय का आशीर्वाद लेकर वापस आ जायेंगे?